

# FORM No. III



फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (स)

..... २५ फेब्रु ..... बनाम ..... डेबे प्रसिंह वर्मा .....

किस्म मुकदमा ..... देवा ..... नं. .... 75 ..... सन् ..... 2010

तारीख हुक्म 28.07.2022	<p>..... इकाई का कार्यवाही मय लखनऊ जज ..... दिनांक 23.06.2022 को इकजाई पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी मय पक्षकारान् ..... प्रकरण में को ..... तक रुक-रुक कर बार-बार ..... दिलवाई गई। वकील वादी व पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादी एवं पक्षकारान् की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> ( दिलीप सिंह ) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p> <div style="text-align: right;"></div> <p style="text-align: center;">..... ..... .....</p>
---------------------------	--